उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 01.03.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 01.03.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

जनपदीय एसओजी व थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने हत्या की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार..।

दिनांक 25.02.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत खोया मंडी में एक महिला का उसके ही घर में हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर जनपदीय पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई एवं घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 85/2026 धारा 103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटना के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

आज दिनांक 01.03.2026 को घटना का सफल अनावरण किया गया है। जांच में यह पाया गया कि मृतका के घर कार्य करने वाली आशा रैकवार पत्नी मुकेश रैकवार उम्र करीब 50 वर्ष तथा उसके पुत्र सोनू पुत्र मुकेश रैकवार उम्र करीब 27 वर्ष निवासीगण नयापुरा बन्धानवार्ड थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा द्वारा यह घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण उपरोक्त को पालिटेक्निक कॉलेज के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्ता आशा रैकवार द्वारा बताया गया कि पैसों की आवश्यकता को लेकर मृतका से विवाद हुआ, जिस पर दिनांक 25.02.2026 को अपने पुत्र सोनू के साथ मृतका के घर जाकर विवाद के दौरान सोनू द्वारा तकिए से मृतका का मुंह दबाकर हत्या कर दी गई तथा आशा द्वारा उसके हाथ पकड़े गए। घटना को चोरी का रूप देने के उद्देश्य से मृतका के कानों से टप्स निकाल लिये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.आशा रैकवार पत्नी मुकेश रैकवार उम्र करीब 50 वर्ष निवासी नयापुरा बन्धानवार्ड थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा

2.सोनू पुत्र मुकेश रैकवार उम्र करीब 27 वर्ष निवासी नयापुरा बन्धानवार्ड थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 प्रवीण कुमार सिंह (चौकी प्रभारी सुभाष)
3.उ0नि0 दिनेश तिवारी 4. म0उ0नि0 सुषमा 5. हे0कां0 उमाशंकर शुक्ला

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 विवेक यादव
2. कां0 दीपक वर्मा 3. कां0 रंजीत सिंह 4. कां0 आशीष बघेल 5. कां0 निर्भय सिंह
6. कां0 सत्यम सिंह जादौन 7. कां0 निलेश 8. कां0 अभिषेक दुबे

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 01.03.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी होली पर्व के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल गश्त एवं सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण...।

आज दिनांक 01.03.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा आगामी होली पर्व के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में व्यापक पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया।

इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ प्रमुख कस्बों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण चौक-चौराहों- रामकथा मार्ग, तहसील तिराहा, चरखारी बाईपास, खनगा बाजार, शुक्रवारी बाजार आदि घनी एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों तथा अन्य संवेदनशील स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया। साथ ही विभिन्न होलिका दहन स्थलों का भी निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि—

- संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए।
- भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सतत निगरानी रखी जाए।
- होलिका दहन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

गश्त के दौरान धार्मिक गुरुओं, संभ्रांत नागरिकों एवं व्यापारी बंधुओं से संवाद स्थापित कर आगामी त्योहारों को शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारे के साथ सम्पन्न कराने हेतु सहयोग का आह्वान किया गया। साथ ही व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु प्रेरित किया गया।

आमजन से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की अफवाहों/भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

जनपद महोबा में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी असामाजिक तत्व अथवा शांति भंग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर एवं विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 01.03.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

“होली पर्व” को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा किया गया पैदल गश्त, आमजन को दिलाया सुरक्षा का भरोसा।

आज दिनांक 01.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा होली पर्व के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी नगर के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा प्रबंधों की सघन समीक्षा की गई। पर्याप्त पुलिस बल के साथ प्रमुख कस्बों/चौराहों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों एवं चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर सघन एरिया डोमिनेशन कर सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले शरारती/अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। साथ ही जनपदीय पुलिस बल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गश्त कर आमजन से संवाद स्थापित किया गया। स्थानीय नागरिकों से आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखने, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने तथा संदिग्ध गतिविधियों/व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। व्यापारी बन्धुओं को अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से सक्रिय रखने हेतु भी निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के मुख्य बाजारों, धार्मिक स्थलों, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ढाबों व अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए चालान एवं वाहन सीज की कार्रवाई की गई।

साथ ही शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण कर संबंधित सेल्समैन को निर्धारित समयावधि, लाइसेंस शर्तों एवं शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनपदीय पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि होली पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।